

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>31.01.2025</p>	<p>नेतराम व अन्य बनाम श्री नवनीत कुमार (R.A.S) उपखण्ड अधिकारी सिकराय व अन्य</p> <p>किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मु0न0 12/2025</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री महेन्द्र प्रसाद मीना उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की जाकर पत्रावली दिनांक 21.02.2025 को पेश हो।</p> <p>अति० जिला कलक्टर दौसा</p>	<p>तद्वारे 131 31-01-2025</p>
<p>21-2-25</p>	<p>जज श्री महेन्द्र प्रसाद मीना राज अग्र : ... गत अवकाश की पत्रावली में पत्रावली दिनांक 28-2-25 को पेश की। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से अप्रार्थी रिपोर्ट सेलून पत्रावली (प्रमाणित) अग्रणी 3 व 4 की कोर से रजिस्टर अग्रण एड द्वारा वकालतनाम पेश किया गया।</p>	
<p>28-2-25</p>	<p>जज श्री महेन्द्र प्रसाद मीना राज अग्र : ... गत अवकाश की पत्रावली में पत्रावली दिनांक 3-3-25 को पेश की।</p>	
<p>3-3-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 3 व 4 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई गई। किन्तु प्रार्थी अथवा अधिवक्ता प्रार्थी में से कोई भी वहस के दौरान उपस्थित नहीं हुए। जिससे यह</p> <p>-- अग्रण;</p> <p>अति० जिला कलक्टर दौसा</p>	



नम्बर व तारीख  
अहक.  
हुक्म को शामिल  
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
मु.नं. 12/25 प्राचीन पत्र स्थानांतरण  
उन्वानी नेतराम बगैरा बनाम नवनीत कुमार व अन्य

प्रति होता है कि प्राचीन विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण को नहीं चलाना चाहते हैं।  
अतः न्यायालय उपखण्ड अदालती सिद्धांत में विचाराधीन मु.नं. 01/2024 उन्वानी नेतराम बनाम राज सरकार को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्राचीन नेतराम पुत्र सरुपा व अन्य जाति मुद्धार निवासी गैशेरा तहसील सिद्धांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण प्रार्थना पत्र एवं अदालत पत्र में खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति कक्षीय न्यायालय उपखण्ड अदालती सिद्धांत को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल नुमा निजाम सम्वत् 1447 स क्रम है एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट अति लेखाकार की जावे। निर्णय आज दिनांक 08-3-2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
रामस्वरूप चौहान  
अति. जिला कलक्टर  
दौसा (राज.)